करनाल इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट

बनाम

सुमित्रा देवी (मृत) जरिए विधिक प्रतिनिधि और अन्य

(2002 की सिविल अपील संख्या 5782)

24 मार्च, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत और पी. सदाशिवम, जे.जे.]

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894:

एस.एस. 23 (1-ए) और 28-भूमि अधिग्रहण द्वारा पारित पंचाट - 1972 में कलेक्टर द्वारा पारित पंचाट से अधिक मुआवजे में कोई वृद्धि नहीं। धारा 23 (1-ए) के तहत सोलेटियम के अधिकार और लाभ धारा 28 के अंतर्गत – निष्कर्षः हकदार नहीं - भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 - एस. 30 (1)।

अपीलार्थी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की धारा 23 (1-ए) और 28 के तहत बाजार मुल्य के 30 प्रतिशत की दर से और अनुमेय अन्य राशियों पर सोलेटियम को पंचाट को चुनौती देते हुये याचिका दायर की। रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया।

इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी का तर्क है -कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधित 1984 की धारा 30(1) में विनिर्दिष्ट प्रावधान लाभ के संबंध में उपलब्ध नहीं है। अतः धारा 23(1-ए) लागू नहीं होती है तो इसके अलावा कलक्टर के द्वारा पारित किये गये पंचाट में अधिक क्षतिपूर्ति में कोई वृद्धि नहीं हुई थी इसलिए अधिनियम की धारा 28 के लाभ भी लागू नहीं होते हैं।

न्यायालय ने अपील स्वीकार की।

निष्कर्षः 1.1. धारा 23 (1) (ए) के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त राशि की पात्रता 30 अप्रैल, 1982 तक अधिग्रहण की कार्यवाही के लंबित होने या उस तारीख के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने पर निर्भर करती है। धारा 30 की उप-धारा (1) (ए) में यह प्रावधान है कि धारा 23 (1-ए) के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त राशि होगी। उक्त कार्यवाही 30 अप्रैल 1982 को कलक्टर के समक्ष अधिग्रहण की कार्यवाही पर लागू होती है जिसमें उस तिथि से पहले पंचाट पारित नहीं किया हो। यदि कलक्टर उस तिथि से पहले पंचाट पारित करता है तो अतिरिक्त राशि प्रदान नहीं की जा सकती। धारा 30, उप-धारा (1) (बी) में प्रावधान है कि धारा 23 (1-ए) 30 अप्रैल, 1982 के बाद शुरू की गइर् प्रत्येक अधिक्रहण की कार्यवाही पर लागू होगी भले ही कलक्टर ने 24 सितंबर, 1984 से पहले कोई पंचाट पारित कर दिया हो नहीं। [पैरा 6] [317-बी, सी, डी, ई]

1.2. जब धारा 18 के संदर्भ में दीवानी न्यायालय या उच्च न्यायालय या कुछ राज्यों में जिला न्यायाधीश धारा 54 के तहत अपील शक्ति का प्रयोग करते है या धारा 26 के तहत सिविल न्यायालय जैसा भी मामला हो, कलेक्टर द्वारा पारित की गई राशि से अधिक मुआवजा प्रदान करता है तो उसे अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (।-ए), धारा 23 की उप-धारा (2) और धारा 28 में परिकल्पित अतिरिक्त लाभ देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में धारा 11 के तहत कलेक्टर के पुरस्कार से अधिक मुआवजे में वृद्धि, अतिरिक्त मुआवजों पर उपरोक्त संबंधित प्रावधानाअें के तहत परिकल्पित, वैधानिक, अतिरिक्त राशि देने के लिए क्षेत्राधिकारी की शक्ति का प्रयोग करना अतिरिक्त शर्त है। यदि उच्च न्यायालय कलेक्टर या सिविल न्यायालय के फैसले की पुष्टि करने वाली अपील को खारिज कर देता है तो उसके पास अधिनियम 68 के तहत संशोधित प्रावधानों के तहत अतिरिक्त वैधानिक राशि देने का कोई अधिकार क्षेत्र की शक्ति नहीं होगा। [पैरा 8] [318-जी, 319-ए, बी, सी]

1.3. संदर्भित न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के पठन से यह स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा निर्धारित दरों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। ऐसा होने पर, अधिनियम की धारा 28 के तहत लाभ उत्तरदाताओं के लिए उपलब्ध नहीं थे। यह पंचाट दिनांक 7.11.1972 को पारित किया गया था। संदर्भ न्यायालय में दिनांक 18.10.1997 को मामले का फैसला किया। इस अधिनियम के अंतर्गत इससे यह स्थिति नहीं बदलेगी क्योंकि प्रासंगिक तिथि पंचाट के दिये जाने की तिथि है। इसलिये अपीलार्थी द्वारा दायर की गई रिट याचिका उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना स्पष्टतः गलत है। अपरिहार्य रूप से निष्कर्ष यह है कि उत्तरदाता अधिनियम की धारा 23 (1-ए) तथा इसी अधिनियम की धारा 28 के लाभ पाने का हकदार नहीं है।

भारत संघ एवं अन्य बनाम फिलिप टियागो डी गामा वास्को डी गामा (1990) 1 एस. सी. सी. 277; *काशीबेन भीकाबाई और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और अन्य* (2002) 2 एससीसी 605 और *पंजाब राज्य और अन्य बनाम जागीर सिंह आदि।* (जेटी 1995 (9) एससी 1)- भरोसा किया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2002 की सिविल अपील संख्या 5782

अंतिम निर्णय और दिनांकित 29/1/2002 आदेश से सी. डब्ल्यू. पी. में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय पीठ चण्डीगढ़ सी.डब्ल्यू.पी. नं. 6035/1998 साथ में सिविल अपील संख्या 5670, 5778, 5779, 5804 और 6566/2002.

अपीलार्थी की ओर से सिराज बग्गा और सुरेस्ता बग्गा। उत्तरदाता की ओर से देबाशीष मिश्रा, जी. के. बंसल और आशु भाटिया ।

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया।

डॉ. अरिजीत पासायत जे.

1. उक्त अपीलों में एक समान बिंदु होने पर और सामान्य निर्णय के द्वारा निपटारा किया जाता है।

2. प्रत्येक मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 29.1.2002 को पारित अंतिम निर्णय व आदेश को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक मामले में दायर लिखित याचिकाएँ खारिज कर दिया गया। रिट याचिकाओं में बाजार मूल्य के 30 प्रतिशत की दर से धारा 23 (1-ए) और धारा 28 के तहत अनुमेय राशियाँ को चुनौती भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में 'अधिनियम') को चुनौती दी गई है। अपीलार्थी के अनुसार भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1984 (संक्षेप में संशोधन) की धारा 30 (1) के विशिष्ट प्रावधानों के कारण उत्तरदाताओं के लिए लाभ उपलब्ध नहीं थे। उच्च न्यायालय ने पूर्व के कुछ फैसलों पर भरोसा करते हुये रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया।

3. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में भारत संघ व अन्य बनाम फिलिप वेदेम वास्को डी गामा के टियागो डी गामा (1990 (1) एससीसी 277) और काशीबेन भीकाबाई और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी और अन्य (2002 (2) एससीसी 605) के निर्णय प्रस्तुत किये गये। कोई राशि धारा 23 (1-ए) के तहत देय नहीं थी। इस संशोधित अधिनियम धारा 30 (1) का भी इस उद्देश्य से संदर्भ दिया गया जो निम्नानुसार हैः

"30. **संक्रमणकालीन प्रावधान -** (1) मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1-ए) के प्रावधान जैसा कि इस अधिनियम की धारा 15 के खण्ड (ए) के द्वारा डाला गया है लागू होंगे एवं अन्य संदर्भ के संबंध में भी -

(क) मूल अधिनियम के तहत किसी भी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्येक कार्यवाही 30 अप्रैल, 1982 को लंबित है। [भूमि अधिग्रहण की शुरुआत की तारीख (संशोधन)

विधेयक, 1982, लोक सभा में, जिसमें कलेक्टर द्वारा इस तारीख से पूर्व कोई पंचाट नहीं दिया गया है उस तारीख को;

(ख) मूल अधिनियम के तहत किसी भी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्येक कार्यवाही उस तारीख से शुरू होती है चाहे इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से पहले या बाद में कलक्टर द्वारा पंचाट पारित किया गया है।

(2) XXX XXX

(3) XXX XXX

4. पंजाब और अन्य बनाम जागीर सिंह वगैरा (जेटी 1995 (9) एससी 1) में यह निष्कर्ष बताया गया है कि कलेक्टर द्वारा पंचाट में वृद्धि करते हुये अधिनियम की धारा 28 के लाभ भी लागू नहीं होंगे।

5. उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ताओं का समर्थन उच्च न्यायालय के फैसले में भी है।

6. फिलिप टियागो के मामले में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी अवलोकन किया जो पैरा 21 में निम्नानुसार है।

> "धारा 23 (1 – (क) के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त राशि की पात्रता 30 अप्रैल, 1982 तक अधिग्रहण के कार्यवाही के लंबितता होने या उसके तारीख के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने पर निर्भर करती है। धारा 30 उप धारा (1) (ए) प्रावधानित करती है कि अतिरिक्त राशि धारा 23 (1-ए) में 30 अप्रैल 1982 से पूर्व लंबित अधिग्रहण कार्यवाहीयों पर लागू होती है जिसमें कलक्टर द्वारा पहले से कोई पंचाट नहीं दिया है। यदि कलेक्टर ने उस तारीख से पहले पंचाट दिया है तब उस अतिरिक्त राशि को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

धारा 30, उप-धारा (1) (बी) में प्रावधान है कि धारा 23 (1-ए) 30 अप्रैल, 1982 शुरू की गई प्रत्येक अधिग्रहण कार्यवाही पर लागू होगी इस तथ्य की परवाह किये बिना कि कलक्टर के द्वारा सितम्बर 24, 1984 से पूर्व कोई पंचाट दिया है या नहीं। अंतिम बिन्दू के रूप में धारा 30 उप-धारा (1) यह उल्लेख नहीं करती है कि न्यायालय के पंचाट के लिए और पंचाट के उपयोग के लिए धारा 30 की उप-धारा (2) में किया जाता है।"

7. इसी तरह, काशीबेन के मामले (सुप्रा) में यह देखा गया था इस प्रकार हैः

"17. दावेदारों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता के द्वारा तर्क दिया गया कि दावेदारों को अधिनियम की धारा 23 (1) के तहत 12 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त मुआवजा पाने के हकदार है। इस न्यायालय के पीठ के द्वारा इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है *भारत संघ बनाम फिलिप वेदेम वास्को डी गामा के टियागो डी गामा* के निर्णय में यह प्रावधानित किया गया है कि धारा 23 (1-ए) के तहत अतिरिक्त मुआवजा दावेदार के लिए उपलब्ध नहीं होगा जिसमें अधिग्रहण की कार्यवाही 30-4-1982 से पहले कलक्टर द्वारा पंचाट पारित कर दिया गया हो। अगर कलेक्टर दिनांक 30-4-1982 से पहले पंचाट पारित करता है तब अतिरिक्त राशि धारा 23 (1-ए) के तहत प्रदान नहीं की जा सकती है। अधिनियम की धारा 23 (1-ए) के तहत लाभ आकर्षित करने के लिए आवश्यक है कि कलक्टर द्वारा अधिग्रहण की कार्यवाही दिनांक 30-4-1982 को लंबित हो। निष्कर्ष निकाला गयाः (एससीसी पीपी 286-87, पैरा 21)

21. धारा 23 (1-ए) के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त राशि की पात्रता 30-4-1982 तक अधिग्रहण की कार्यवाही के लंबित होने या उस तारीख के बाद अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू होने पर निर्भर करती है। धारा 30 की उप-धारा (1) (ए) में प्रावधान है कि धारा 23 (1-ए) के तहत प्रदान की गई अतिरिक्त राशि 30-4-1982 को कलेक्टर के समक्ष लंबित अधिग्रहण की कार्यवाही पर लागू होगा है जिसे उन्होंने उस तारीख से पहले पंचाट नहीं दिया है। यदि कलेक्टर ने उस तारीख से पहले पंचाट दिया है तब उस अतिरिक्त राशि को प्रदान नहीं किया जा सकता है। धारा 30 की उप-धारा (1) (बी) में प्रावधान है कि धारा 23 (1 - (क) 30-4-1982 के बाद शुरू की गई प्रत्येक अधिग्रहण की कार्यवाही लागू होगी। बावजूद कलेक्टर ने 24-9-1984 से पहले या बाद में पंचाट पारित किया है या नहीं। अंतिम रूप से यह ध्यान देने योग्य यह है कि धारा 30 उप धारा (1) अदालती के फैसले एवं अदालती फैसले के उपयोग के संबंध में केवल धारा 30 की उपधारा (2) में उल्लेख नहीं करती है।

उपर्युक्त संदर्भित मामले के विपरीत दृष्टिकोण रखने वाला कोई निर्णय हमारे सामने उद्धृत नहीं किया गया था। तदनुसार, यह माना जाता हे कि अपीलार्थी अधिनियम की धारा 23 (1-ए) के तहत प्रदान किा गया अतिरिक्त मुआवजे के हकदार नहीं होंगे।"

8. जागीर के मामले (ऊपर) में यह निम्नानुसार देखा गया थाः

"इस प्रकार यह देखा जाएगा कि विधायी का उद्देश्य स्पष्ट है कि धारा 18 के संदर्भ में सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय या कुछ राज्यों

में जिला न्यायाधीश धारा 54 के तहत अपीलीय न्यायालय का शक्ति का प्रयोग करते हुये या दीवानी न्यायालय के तहत जैसा भी मामला हो, कलक्टर द्वारा प्रदान की गई राशि से अधिक मुआवजा देता है फिर उसे उप-धारा (I-A) में धारा 23, धारा 23 की उप-धारा (2) और धारा 28 के तहत मिलती है दूसरे शब्दों में धारा 11 के तहत कलक्टर के पुरस्कार से अधिक मुआवजे में वृद्धि एवं अतिरिक्त मुआवजे से संबंधित प्रावधानों के तहत परिकल्पित वैधानिक अतिरिक्त राशियाँ देने की शक्ति पूर्ववर्ती शर्त है। यदि उच्च न्यायालय कलक्टया या दीवानी न्यायालय के आदेशों की पुष्टि करने वाली अपील को खारिज कर देता है तो 1984 का संशोधन अधिनियम 68 के तहत संशोधित संबंधित प्रावधानों के तहत अतिरिक्त राशि वैधानिक राशि प्रदान करने का क्षेत्राधिकार व शक्ति नहीं होगी।"

9. संदर्भित न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि भूमि अधिग्रहण कलक्टर द्वारा निर्धारित दरों में कोई वृद्धि नहीं की गई थी एेसा होने पर अधिनियम की धारा 28 के तहत उत्तरदाताआें को लाभ उपलब्ध नहीं है। पंचाट 07.11.1972 को पारित किया गया था। संदर्भ न्यायालय ने 18.10.1997 को मामले का फैसला किया। इससे यह स्थिति नहीं बदलेगी क्योंकि *फिलिप टियागो* के मामले (ऊपर) में उल्लेख किया गया है कि प्रासंगिक तारीख अधिनियम के तहत कलक्टर के द्वारा पारित किये गये पंचाट की तारीख है। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका खारिज करना स्पष्ट रूप से गलत है। अपरिहार्य रूप से निष्कर्ष यह है कि उत्तरदाता अधिनियम की धारा 23 (1-ए) के तहत सान्तवना के हकदार नहीं है और इसी तरह धारा 28 के तहत लाभ के भी हकदार नहीं है।

10. अपीलों की अनुमति है लेकिन लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

बी.बी.बी.

अपीलों स्वीकार्य।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक डा॔. नीलम सुलभ जैन (अनुवादक का नाम) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।